P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-5* ISSUE-2* May - 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

सामाजिक न्याय : महात्मा गाँधी और जॉन रॉल्स

Social Justice: Mahatma Gandhi and John Rawls

Paper Submission: 10/05/2020, Date of Acceptance: 27/05/2020, Date of Publication: 29/05/2020

फूलसिंह गुर्जर
सह–आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
झालावाड़, राजस्थान, भारत

सारांश

सम्बद्ध समाज की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, वैधानिक व्यवस्था में उसके सभी व्यक्तियों को जन्म, रंग, नस्ल, जाति अथवा सम्पत्ति आदि के आधार पर भेदभाव रहित विकास के समान अवसर प्राप्त होने की स्थिति को 'न्याय' कहा जा सकता है। प्रस्तुत प्रसंग में, सामाजिक न्याय की विवेचना का सम्बन्ध सामाजिक व्यवस्था, संरचना, नियम, परम्परा, संहिता, व्यवहार आदि से व्यक्ति के पारस्परिक सामंजस्य, समानता, प्रतिष्ठा तथा गरिमा की स्थापना से है। महात्मा गाँधी और जॉन रॉल्स ने अपनी अपनी पद्धति तथा मूल्यों के माध्यम से सामाजिक न्याय को परिभाषित किया है। महात्मा गाँधी एक ऐसी आदर्श सामाजिक व्यवस्था की बात करते है जो सत्य, अहिंसा, नैतिकता, प्रेम, वर्णधर्म, परोपकार तथा सर्वोदय पर आधारित है। जिसमें मानवमात्र के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो वे एक न्याय पर आधारित व्यवस्था की बात करते थे जिसमें सभी व्यक्तियों को उत्पादन का न्यायपूर्ण उपयोग करने का अधिकार मिले। वे समाज के अंतिम व्यक्ति 'दरिद्रनारायण' की चिन्ता को ध्यान में रखकर नीति नियन्ताओं को नीतियाँ बनाने का आव्हान करते हैं। जॉन रॉल्स ने न्याय को समाज के न्यूनतम सहायता प्राप्त व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के लिए, एक आदर्श समाज की परिकल्पना की, जिसका लक्ष्य प्राथमिक वस्तुओं के न्यायोचित वितरण प्रक्रिया से है। यह लेख सामाजिक न्याय की अवधारणा को महात्मा गाँधी और जॉन रॉल्स के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

In the social, political, economic, religious, legal system of the society concerned, all its people get equal opportunities for development without discrimination on the basis of birth, color, race, caste or property etc. can be called 'justice'. In the context presented, the discussion of social justice is concerned with the establishment of mutual harmony, equality, dignity and dignity of a person with social order, structure, rules, tradition, code, behavior etc. Mahatma Gandhi and John Rawls have defined social justice through their own method and values. Mahatma Gandhi talks about an ideal social system that is based on truth, non-violence, morality, love, varna dharma, philanthropy and Sarvodaya. In which there was no discrimination against mankind, he spoke of a justice-based system in which all persons should have the right to use the product judiciously. They call upon policy-makers to formulate policies keeping in mind the concern of the last person of the society, 'Dirdranarayan'. John Rawls envisaged an ideal society to benefit justice to the least aided person of the society, which aims at the equitable distribution of primary goods. This article presents a comparative study of the approach of Mahatma Gandhi and John Rawls to the concept of social justice.

मुख्य शब्द : सर्वोदय, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सद्गुण, रामराज्य, साध्य–साधन, खादी, चरखा, ट्रस्टीशिप, अपरिग्रह, ग्रामोद्योग, नई तालीम, दरिद्रनारायण, प्राथमिक वस्तुएँ, सामाजिक पदार्थ, प्राकृतिक मूल स्थिति, जंजीर, अवसरों की समानता, पदानुषंग, पुनरोदय, न्याय की उचितता, विवेकी व्यक्ति, अज्ञानता का पर्दा, वितरणात्मक न्याय,प्रक्रियात्मक न्याय, अधिकारों, आय, सम्पदा, पुरस्कार, परख, कमजोर कड़ी, विभेदी सिद्धान्त, शब्दकोशीय व्यवस्था, मैक्सीमीन, नियमन,विमर्शी, समत्व, सामाजिक समझौता, संसाधन,अहर्ता, सामान्य शुभ,नैतिक पूँजी आदि।

Sarvodaya, Satya, Ahimsa, Satyagraha, Virtue, Ramrajya, Sadhya-Siddha, Khadi, Charkha, Trusteeship, Aparigraha, Village Industry, Nai Talim,Daridranarayana, PrimaryGoods, Social Substances, Natural Origin, Chained, Equality of Opportunities, Deliverance, Revival , Justification of justice, prudent person, veil of ignorance, distributive justice, procedural justice, rights, income, property, award, trial, weak link, discriminatory principle, lexicographic system, maximine, regulation, deliberation, equity, social compromise, resources, Qualification, general auspicious, moral capital etc.

प्रस्तावना

सामाजिक न्याय की बुनियाद– सभी व्यक्तियों को एक समान मानने के आग्रह पर आधारित है। जहाँ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र निम्नांकित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखा गया है:–

1. सामाजिक न्याय के विविध आयाम एवं चुनौतियों का विश्लेषण करना।
2. रॉल्स के न्याय सिद्धान्त को जानना तथा भारतीय सामाजिक व्यवस्था के साथ विश्लेषण करना।
3. रॉल्स के वितरणात्मक न्याय की प्रक्रिया का विश्लेषण करना।
4. महात्मा गाँधी के सामाजिक न्याय सम्बन्धी विचारों को ज्ञात करना।
5. रॉल्स और महात्मा गाँधी के सामाजिक न्याय सम्बन्धी विचारों को ज्ञात करना।
6. सामाजिक न्याय स्थापित करने में उत्पन्न बाधाओं को जानना।
7. महात्मा गाँधी और रॉल्स के सामाजिक न्याय को लागू करने की पद्धतियों का विश्लेषण करना।

साहित्यवलोकन

दाधीच, नरेश (2014) ने अपनी पुस्तक 'महात्मा गांधी का चिन्तन' में महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व कृतित्व तथा महात्मा गाँधी के चिन्तन का समग्र प्रस्तुतीकरण किया है। रामजी, सिंह (2019) ने अपनी पुस्तक 'महात्मा गाँधी और भावी विश्व व्यवस्था' में विश्व के पुनर्निर्माण के लिए हमें मानव– निर्माण के प्रश्न को हल करना होगा। महात्मा गाँधी ने मानव निर्माण एवं व्यवस्था निर्माण की धुरी पर नवीन विश्व व्यवस्था की कल्पना भी की और प्रयोग भी किया। रामजी, सिंह (2019) ने अपनी पुस्तक 'महात्मा गाँधी और मानवता का भविष्य' में गाँधी दर्शन का मूल आधार है कि मानव स्वभाव से साधु है, परिस्थितियाँ उसे दुवृत कर देती है। इसलिए मानव–मानव के बीच शाश्वत बैर–भाव रह नहीं सकता है। उषा ठक्कर, जय श्री मेहता, (2018) ने अपनी सम्पादकीय पुस्तक 'गांधी बोध' में महात्मा गाँधी और उसने अनुयायियों के सत्याग्रह अहिंसा ब्रह्मचर्य आध्यात्मिकरण और उपवास जैसे महत्वपूर्ण विचारों को सामने लाती है। जॉन रॉल्स (1971) पूर्वाग्रहों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ जाति नस्ल लिंग धर्म भाषा रंग रूप तथा क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव न किया गया है।सबके पास जीवन जीने के न्यूनतम साधन हों, जिससे वे उत्तम जीवनयापन कर सके। पश्चिमी उदारवादी विचारक जॉन रॉल्स ने सन् 1971 में लिखी पुस्तक 'ए थियरी ऑफ जस्टिस' में न्याय को न्यूनतम लाभ प्राप्त व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए एक ऐसी 'मूल स्थिति' की परिकल्पना की, जिसका लक्ष्य प्राथमिक वस्तुओं का न्यायोचित वितरण प्रक्रिया से है। महात्मा गाँधी ने सत्य अहिंसा पर आधारित रामराज्य व्यवस्था का दर्शन दिया है। जिसका आधार वर्णाश्रम धर्म नैतिकता प्रेम तथा सर्वोदय है। मानव ईश्वर का ही अंश है इसलिए मानव–मानव के मध्य जाति धर्म छुआछूत के आधार पर भेद करना न्यायपूर्ण नहीं है। दोनों महान् विचारकों ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को अपनी–अपनी प्रकार पद्धति तथा मूल्यों द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया है।

ने अपनी कृति 'ए थियरी ऑफ जस्टिस' में 1970 के दशक में राजनीतिक चिन्तन का पुनरोदय किया है। प्लेटो और कार्ल मार्क्स के बाद रॉल्स ने 'न्याय' को चिन्तन के केन्द्र में स्थापित किया है। दाधीच, नरेश (2003) ने अपनी कृति 'जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धान्त'में हिन्दी भाषा–भाषी शोधार्थियों के लिए बड़ा उपकार किया है। यह कृति जॉन रॉल्स की मूल कृति का हिन्दी अनुवाद है। इस कृति ने रॉल्सीय न्याय को जानने, समझने में बहुत मदद की है।

शोध सीमा

शोध– पत्र लिखते समय हमे समय और सीमा का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इस शोध पत्र में पश्चिमी विचारक रॉल्स तथा भारतीय विचारक महात्मा गाँधी के सामाजिक न्याय से सम्बन्धित विचारों को समीचिन रूप में प्रस्तुत किया है। किसी भी शोध पत्र की उपयोगिता इसी बात पर निर्भर करती है कि अनावश्यक शब्दजाल न फैलाएँ और मूल विचारों को निसरित न करें।

शोध पद्धति

किसी भी शोध पत्र की गुणवत्ता उपयोगिता तथा महत्ता उचित शोध पद्धति के चयन से निखरती है। मैने इस शोध पत्र को समसामयिक, उपयोगी बनाने के लिए वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक तथा तुलनात्मक पद्धति को अध्ययन का आधार बनाकर निष्कर्ष निकाले हैं।

20 वीं सदी के दो महान विचारक महात्मा गाँधी और जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को अपने–अपने प्रकार, शैली, कला, साधन एवं मूल्यों द्वारा स्थापित किया है।सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य मानव द्वारा मानव का शोषण समाप्त कर प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे अवसर उपलब्ध करवाना है जिनसे वह अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, का अधिकतम विकास कर सके। वर्तमान विश्व में अधिकांश देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक शासन प्रणालियाँ सामाजिक न्याय के लक्ष्य को लेकर शासन में है। रॉल्स ने न्याय को समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए पूर्णतया तार्किक संरचना पर आधारित एक आदर्श समाज की परिकल्पना की, जिसका

लक्ष्य, प्राथमिक वस्तुओं के न्यायोचित वितरण प्रक्रिया से है। जब तक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से संचालित नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती है। मानव की दो आवश्यक वस्तुएँ – सामाजिक पदार्थ और प्राकृतिक पदार्थ है। सामाजिक पदार्थ के अन्तर्गत – वेतन, सम्पत्ति, अधिकार और स्वतंत्रता आती है जबकि प्राकृतिक पदार्थ जिनका वितरण सामाजिक संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा सकता है जैसे बुद्धि, कल्पनाशीलता और साहस। इस प्रकार सामाजिक पदार्थों का वितरण करके पूरे तरीके से समाज में न्याय की स्थापना की जा सकती है। वहीं महात्मा गाँधी ने, समस्त लोगों को न्याय उलब्ध करवाने के लिए सत्य, अहिंसा पर आधारित आदर्श सामाजिक व्यवस्था का दर्शन दिया। जिसका आधार वर्ण, धर्म, आश्रम, नैतिकता, प्रेम तथा सर्वोदय है। सामाजिक न्याय एक ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमताएँ न्यूनतम हो तथा समाज का स्वरूप समावेशी हो और संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर होना चाहिए।

महात्मा गाँधी स्वप्नलोकीय विचारक न होकर व्यावहारिक आदर्शवादी थे। उन्होंने न तो कोई व्यवस्थित सिद्धान्त, वाद या दृष्टिकोण दिया और न ही अपने विचारों को क्रमबद्ध व्यक्त करके किसी तर्क की कसौटी पर कसा है। उनके समस्त चिन्तन का उदय–दक्षिण अफ्रीका और भारत की नस्लीय सरकारों द्वारा अश्वेतों के साथ किये भेदभाव, अपमान, अमानवीय कानूनों के विरूद्ध, किये गये आन्दोलनों के दौरान हुआ है। वे एक कर्मयोगी थे, उनके विचारों का उद्देश्य किसी दर्शन की स्थापना न होकर सत्य अहिंसा जैसे नैतिक साधनों द्वारा समाज में न्याय की स्थापना करना था। महात्मा गाँधी ने व्यक्ति और समाज के अन्तर्सम्बन्धों की विवेचना कर, आदर्श सामाजिक व्यवस्था द्वारा सर्वोदय की संकल्पना की स्थापना की, जिनके आधारस्तम्भ सत्य और अहिंसा है।[1] महात्मा गाँधी ने पहली बार अहिंसा को राजनीतिक दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया और विरोध करने का एक नया तरीका 'सत्याग्रह' का भी आविष्कार किया।[2] वे चाहते थे कि राज्य के समक्ष ऐसा लक्ष्य रखा जाए, जिसके लिए राज्य को अधिक श्रम करना पड़े। वह राजनीतिक व्यवस्था के सभी अंगों के माध्यम से जनसहयोग प्राप्त कर सके। सत्य, अहिंसा और प्रेम जैसे शाश्वत मूल्यों पर आधारित राज्य व्यवस्था में सामाजिक न्याय शासक और शासितों के पारस्परिक सहयोग से ही संभव है।[3]

रॉल्स के अनुसार 'न्याय' सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सदगुण है जैसे 'सत्य' चिन्तन का प्रथम सदगुण है।[4]सामाजिक न्याय के लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते है जब लक्ष्य, तथा प्रक्रिया को मजबूत करेंगे। रॉल्स ने न्याय के अमूर्त और दार्शनिक सिद्धान्त को ऐसे रूप में उभारा जिसमें अधिकारों, आय और संपदा के वितरण हेतु नीति निर्माण हो सके।

रॉल्स ने उपयोगितावादी दृष्टिकोण की अधिकतम लोगों के अधिक सुख की धारणा को नकारते हुए, अनुबन्धवादी (लॉक, रूसों व कांट) की धारणा को आधार बना कर ऐसी 'मूल स्थिति' की कल्पना की, जिसमें व्यक्ति को समाज में अपनी (स्वयं) क्या स्थिति रहेगी? उसका ज्ञान न होगा, फिर वे भावी समाज में अपने हितों की अधिकतम वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन के नियमों, सिद्धान्तों और संस्थाओं का पुनर्निर्माण करेंगे। इस मूल स्थिति में लोग परस्पर सहमति से जो नियम स्वीकार करेंगे, उन्हें विश्वव्यापी आधार पर न्याय के नियम मान सकते है।[5] उसने यह व्यवस्था की, कि विशेष प्रतिभाशाली लोग विशेष पुरस्कार के हकदार तभी माने जाएंगे जब वे अपनी प्रतिभा का प्रयोग हीनतम लोगों के कल्याण हेतु करने को तैयार होगें, परन्तु वे ऐसा क्यों करेगें? इस पर रॉल्स का मानना था कि सामाजिक जीवन व्यक्तिगत लेन–देन का जोड़ न होकर परस्पर सहयोग का क्षेत्र है। जिसमें अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति कम प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ मिलकर ही अपनी प्रतिभा तथा अवसरों का लाभ उठा सकते है। अतः समाज रूपी जंजीर को मजबूत करने के लिए उसकी सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करना अनिवार्य होगा। उसके मजबूत होने पर फिर सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढकर यही प्रक्रिया दोहरानी होगी। जब तक समाज का अस्तित्व रहेगा, तब तक यही प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी, और यही न्याय का प्रमाण होगा।[6] महात्मा गाँधी ने सब जीव प्राणियों को ईश्वर का अंश मानकर सत्य और अहिंसा जैसे साधनों के आधार पर 'सर्वोदय' समाज की स्थापना की वकालत की है। दोनों विद्वानों के न्याय सम्बन्धी विचार निम्नानुसार हैः–

महात्मा गाँधी ने सामाजिक न्याय के लिए कोई दर्शन तो नहीं दिया परन्तु यंत्र–तंत्र जो विचार अभिव्यक्त किये है, उनके आधार पर महात्मा गाँधी की न्याय सम्बन्धी धारणाएँ ज्ञात होती हैः–

गांधीजी की प्रथम मूल धारणा धार्मिक प्रतिबद्धता से उद्भूत है। उनकी हिन्दू धर्म शास्त्रों में उल्लेखित वर्ण व्यवस्था में अटूट आस्था थी। वे इसे जन्मगत व वृत्तिगत मानते थे, जो सामाजिक न्याय का सशक्त साधन है जिसका आधार बल न होकर स्वाभाविकता और कर्तव्य परायणता है। जाति व अस्पृश्यता सामाजिक विकृति है जिसे वर्णाश्रम धर्म से जोड़ना अनुचित होगा। वे धार्मिक कुरीतियों व अन्धविश्वासों के विरूद्ध थे। उनका लक्ष्स सर्वोदय समाज की स्थापना करना था जिसका आशय–एक ऐसे समाज से था, जिसमें सभी उन्नत हों,सभी सुखी हों,सभी के साथ न्याय हो तथा सामाजिक प्रगति में सबको न्याय समानरूप से हिस्सा मिले।[7] जब तक समाज के निर्बल व कमजोर वर्ग विशेष रूप से महिलायें और अछूत समुन्नत नहीं होगें तब तक सर्वोदय समाज की परिकल्पना सार्थक नहीं है। इसीलिये उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान महिलोत्थान तथा हरिजनो उद्धार के कार्यक्रमों को भी अपने हाथ में लिया था।

हिन्दू धर्म ग्रन्थों में उनकी गहरी आस्था थी। इसका मतलब अन्य धर्मों का विरोध करना नहीं था। वे सर्वधर्मसम्भाव में विश्वास करते थे। वे मानव को ईश्वर की कृति मानते थे, जिसका अन्तिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। आत्मा, अजर और अमर है। ईश्वर व आत्मा एक ही है। ईश्वर को न जानना अज्ञान है। इस अज्ञान के बन्धन से छुटकारा पाना ही मोक्ष है और यहीं मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य है। इस लक्ष्य को सत्य, अहिंसा और प्रेम के

माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम से, मानव अपने क्षूद्र स्वार्थ को छोड़कर तेरे–मेरे का भेद मिटाता है और स्वार्थ से हटकर परमार्थ की ओर अग्रसर होता है। अहिंसा, सत्य व प्रेम का ही रूप है। सत्य, अहिंसा व प्रेम से पूर्ण व्यक्ति ही सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

महात्मा गाँधी की रामराज्य की धारणा विशुद्ध रूप से वर्णाश्रम व्यवस्था है। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति वर्णगत वृत्ति के अनुरूप कर्म कर, रोजी–रोटी की स्वयं व्यवस्था करेगा। मानव–मानव के मध्य जाति, धर्म, ऊँच–नीच छुआछूत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। छुआछूत का रामराज्य (वर्णाश्रम) से कोई लेना देना नहीं है। ये हिन्दू समाज पर एक कलंक तथा सामाजिक न्याय की स्थापना के मार्ग में एक बाधा है। जिसे साधन–पवित्रता के द्वारा ही हटाया जा सकता है।महात्मा गाँधी का मानना था कि साध्य–साधन के सम्बन्ध अटूट है। साधन यदि बीज है तो साध्य वृक्ष। व्यक्ति जैसा बोयेंगा, वैसा ही फल खायेंगा अर्थात् जैसा कर्म वैसा फल।

महात्मा गाँधी के लिए, भारत का आर्थिक भविष्य चरखा तथा खादी में निहित है। प्रत्येक गांव सोलह वर्ष से ऊपर के सक्षम स्त्री–पुरूष को खेती, कुटीर उद्योगों, कारखानों मे काम न दे तब तक खादी ही उन्नति का एक मात्र मार्ग है। मशीनीकरण औद्योगिकीकरण भारत के अनुकूल नहीं है।[8] इससे बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक असमानता बढ़ेगी। जो सामाजिक न्याय की स्थापना में बाधा है। वर्तमान औद्योगिकीकरण, मशीनी युग में श्रमिक, मजदूर कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते हजारों किलोमीटर की पैदल यात्राएँ करके अपने अपने गाँव पहुँच रहे है। इस गाँव पहुँचने की पैदल यात्रा के दौरान कई श्रमिकों महिलाओं बच्चों को अनेक कष्ट और यातनाएँ झेलनी पड़ रही है। कई श्रमिकों ने भूख प्यास के चलते रास्ते में ही दम तोड़ दिया है। श्रमिकों के पलायन से औद्योगिक इकाईयाँ बंद हो गई है और गाँवों में बेरोजगारी तथा भूखमरी के बढ़ने का भय सता रहा है। गाँधीय आर्थिक दर्शन ग्रामीण विकास गाँवों के माध्यम से करने की बात करता है जिससे पलायन जैसी आपद स्थितियाँ उत्पन्न न हो। महात्मा गाँधी ने आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए न्यासिता का सिद्धान्त दिया। इसके अनुसार पूंजीपति अपने धन एवं सम्पति का स्वयं को स्वामी न मानकर 'न्यासी' माने। महात्मा गाँधीका यह सिद्धान्त अपरिग्रह की अवधारणा पर आधारित हैं। जो अहिंसा से ओत–प्रोत है।

महात्मा गाँधी शिक्षा योजना का उद्देश्य सम्पूर्ण मानव का निर्माण तथा व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है। उन्होंने शिक्षा को सर्वोदय के विचार के साथ जोड़कर सबसे कम लाभान्वित व्यक्ति को लाभ पहुँचा कर, सामाजिक न्याय की कल्पना की है। दलितों के साथ–साथ उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया। वे मानते है कि दलित, महिला और अल्पसंख्यक अगर समाज के दूसरे हिस्सों के साथ–साथ आगे नहीं बढ़ते है तो सामाजिक न्याय की स्थापना संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है।

इस प्रकार महात्मा गाँधी का सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण सार्वजनिन, तथा सर्वोदय पर आधारित है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह जैसे व्यक्तिगत गुणों को महात्मा गाँधी ने सामाजिक मूल्यों में परिवर्तित करके एक ऐसी समतामूलक सामाजिक व्यवस्था का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जहाँ मानव–मानव के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। सामाजिक भेदभाव तथा संकीर्णता समाप्त करने की निरंतर कोशिश के साथ अस्पृश्यता, जांत–पांत के बैर को भी जड़ से समाप्त करने के लिए सामाजिक आन्दोलन और भारतीय समाज को एक साथ जोड़ने की चेष्टा गाँधी दर्शन की धुरी है। सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए है जैसे रचनात्मक कार्यक्रम, अस्पृश्यता निवारण, साम्प्रदायिक एकता, मद्य निषेध, खादी का प्रचार प्रसार ग्रामोद्योग, सफाई, बुनियादी तालीम, महिला कल्याण, भारतीय भाषाओं का विकास, आर्थिक समानता स्वतंत्रता व स्वराज के लिए संघर्ष आदि। इस प्रकार गाँधी दर्शन और सामाजिक न्याय में कोई अंतर नहीं है।

अमेरिकन दार्शनिक जॉन रॉल्स ने 20 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में 'न्याय के सिद्धान्त' को पुनः आदर्श राज्य का केन्द्र बनाया। वर्तमान युग में न्याय एवं सामाजिक न्याय, राजनीतिक चिन्तन का महत्वपूर्ण विषय बन चुका है और जॉन रॉल्स प्रमुख प्रवर्तक। उन्होंने अपनी कृति 'ए थियरी ऑफ जस्टिस' के माध्यम से न केवल नई सोच को जन्म दिया, अपितु राजनीतिक चिन्तन में नई भाषा, प्रत्यय को लोकप्रिय भी बनाया है।

रॉल्स ने न्याय दर्शन में 'नैतिकता' को केन्द्र में रखकर नैतिक दर्शन का पुनरोदय किया है। प्लेटों के बाद रॉल्स ने न्याय को राजनीतिक चिन्तन में महत्वपूर्ण स्थान देकर, सामाजिक–राजनीतिक संस्थाओं का प्रथम सदगुण बताया है।[9] उन्होंने 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पुनः स्वतंत्रता के अधिकार को राजनीतिक चिन्तन में स्थापित कर, समाजवाद की नैतिक अपील को समाप्त किया है। उन्होंने उदारवाद की मूलभूत मान्यताओं पर आधारित एक ऐसे आदर्श राज्य की तार्किक संरचना प्रस्तुत की, जो अधिकारों के साथ–साथ न्याय पर भी आधारित है। रॉल्स के न्याय दर्शन में समाजवादी गुण अर्थात् अवसरों की समानता, पद और पदानुषंग की प्राप्ति का एक समान अधिकार है परन्तु विशेष परिस्थितियों में सामाजिक, आर्थिक असमानताएँ होने पर सबसे कम लाभान्वित व्यक्ति को सबसे अधिक लाभ मिलना चाहिए। रॉल्स के, ये विचार गांधीजी के 'दरिद्रनारायण' की धारणा से मिलते है। रॉल्स ने उपयोगितावाद के विकल्प के रूप में सामाजिक समझौता सिद्धान्त की परम्परा को नैतिक दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया तथा साथ ही काँटवाद का पुनरोदय भी किया, क्योंकि नैतिक और सामाजिक दर्शन में अधिकारों और न्याय का अटूट सम्बन्ध होता है। जैसे नागरिक अधिकारों का आन्दोलन, नीगों की मुक्ति, अल्पसंख्यकों के एक समान अधिकार, गरीबी हटाओं की मांग, तथा वियतनाम युद्ध विरोधी आन्दोलनों ने व्यक्ति, पिछड़े तथा अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों के प्रति आवाज उठाई। जो रॉल्स के न्याय की उचितता के सिद्धान्त से साम्यता रखती है।

रॉल्सीय न्याय, समाज की मूल स्थिति पर लागू होता है, जो सामाजिक प्रकारों के क्रम विन्यास की अवधारणा है। व्यक्ति क्या है? क्या होना चाहते है? का निर्धारण सामाजिक व्यवस्था से किया जाता है। विवेकी व्यक्ति होने के कारण लोग इन सिद्धान्तों की प्राथमिकताओं को तय करने का निर्णय लेते है और इसके लिए कुछ नैतिक मापदण्डों को स्वीकारना पड़ता है। इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति, समाज में अपना स्थान, अपनी वर्गीय स्थिति, सामाजिक हैसियत आदि नहीं जानता और न ही यह उसकी क्षमताएँ, योग्यताएँ, बुद्धिमता, शक्तियाँ और स्वाभाविक योग्यताएँ क्या है? उसको जान पाता है। न्याय के सिद्धान्त, इस तरह, एक 'अज्ञानता के पर्दे' के पीछे चयनित होते है। मूल स्थिति में न्याय के सिद्धान्तों को स्वीकारने के पश्चात् व्यक्ति एक संवैधानिक सम्मेलन में भाग लेता है तथा एक न्यायप्रिय संविधान निर्माण के लिए न्यायप्रिय प्रक्रिया का होना भी आवश्यक है। इस प्रकार न्याय–प्रिय संविधान में प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रताओं को सम्मिलित किया जाता है।[10] रॉल्स का वितरणात्मक न्याय का सम्बन्ध भी प्रक्रियात्मक न्याय से है। पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय में प्रक्रिया की उचितता होती है, जिससे परिणाम उचित व सही आये।

रॉल्स ने न्याय के सिद्धान्त को, अधिकारों, आय और संपदा की वितरण प्रक्रिया का आधार बनाया। उसकी मूलस्थिति परस्पर सहमति पर आधारित होने के कारण विश्वयापी है, जो न्याय के नियम निर्माण में सहायक हो सकती है, जैसे हीनतम लोगों का अधिकतम कल्याण, पूँजीपतियों की प्रतिभा का पुरस्कारपरक अवदान इत्यादि। समाज की सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढकर उसे मजबूत करने की प्रक्रिया ही न्याय का प्रमाण होगा।

समसामयिक राजनीतिक चिंतन में जॉन रॉल्स से महात्मा गाँधी की तुलना की जाती है। रॉल्स की मुख्य चिन्ता एक ऐसे समाज की संरचना करना था, जो न्यायधारित हो। जब तक राज्य न्यायधारित नीतियों का निर्माण नहीं कर पाए या उनको व्यवहार में क्रियान्वित नहीं कर पाए, तब तक ऐसे समाज में असहयोग तथा अवज्ञा जैसे आन्दोलनों का महत्व रहता है।

महात्मा गाँधी और रॉल्स की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बहुत अधिक भिन्नता थी। महात्मा गाँधीका जन्म भारत में हुआ था, तब हमारा देश गुलाम था। हालांकि महात्मा गाँधीका परिवार खुले विचारों वाला और उदारवादी था। रॉल्स का जन्म एक समृद्ध सामाजिक परिवेश में हुआ था। परिवेश और परिस्थितियों का प्रभाव समकालीन चिन्तकों के चिन्तन में परिलक्षित होता ही है। महात्मा गाँधी के चिन्तन और कर्म का आधार सत्य, अहिंसा व प्रेम है। उनके सामाजिक न्याय का आधार सर्वोदय अर्थात् सबका कल्याण से है। जिसमें मानव मात्र के साथ जाति, धर्म, रंग–रूप के आधार पर भेद न करके सबके साथ एक जैसे व्यवहार की बात की जाती है। जबकि रॉल्स का मानना है कि प्राथमिक वस्तुओं का वितरण इस प्रकार से हो कि न्यूनतम लाभ प्राप्त व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिल सके। रॉल्स उपयोगितावाद की सुखवादी धारणा के विरूद्ध था। उसका कहना था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख नैतिक धर्म के विरूद्ध है। समाज में अन्यायपूर्ण वितरण हमेशा निन्दनीय है परन्तु समाज में जब तक कमजोर कड़ी को मजबूत नहीं करोगें तब तक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती है। महात्मा गाँधी मानव मात्र को ईश्वर का अंश मानकर अछूतों, शूद्रों तथा वंचित वर्ग की सेवा का व्रत लेते है। उनका मानना था कि हिन्दू समाज में व्याप्त जाति–प्रथा, अस्पृश्यता की परिपाटी मानवीयकृत है। इसको जितना जल्दी हो, खत्म कर देना चाहिए।

रॉल्स ने न्याय को स्थापित करने के लिए दो रास्ते बताये है–(i)प्रत्येक व्यक्ति को सर्वाधिक बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार होना चाहिए और यह अधिकार अन्य व्यक्तियों को भी प्राप्त होना चाहिए। (ii) सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाना चाहिए कि उन दोनों से (क) न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को सर्वाधिक लाभ मिले, और (ख) अवसर की निष्पक्ष समानता के आधार पर सभी को प्राप्त पद और दर्जे प्रभावित हो।[11] रॉल्स का कोशीय क्रम का उद्देश्य न्याय की विभिन्न माँगों की सही प्राथमिकताएँ निश्चित करना है। समान स्वतंत्रता की प्राथमिकता पहली है, उसके बाद अवसर की निष्पक्ष समानता आती है। इन दोनों की पूर्ण सन्तुष्टि के बाद ही हम सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं का क्रम इस प्रकार निर्धारित कर सकते है कि उससे समाज के अपेक्षाकृत कम सुविधा प्राप्त वर्ग को अधिकतम लाभ मिले। समाज की सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए रॉल्स भेदमूलक सिद्धान्त लागू कर, वर्तमान टैक्स प्रणाली की तरह गरीबों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाना चाहता था। न्याय की स्थापना करने के लिए आय का पुनर्वितरण जरूरी है। इससे योग्य के साथ गरीब का भी विकास हो। अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों पर खर्च किया जाए जिससे समाज में आर्थिक असमानता की खाई को कम किया जा सके। भारत में अमीर गरीब के मध्य व्याप्त भेद को कम करने के लिए सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण हेतु जनधन, उज्जवला, आवास, छात्रवृत्ति तथा मनरेगा जैसी लोकप्रिय योजनाएँ संचालित की जा रही है। सरकार को पुरस्कार की जगह क्षतिपूर्ति पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि न्याय का सम्बन्ध पुरस्कार से न होकर क्षतिपूर्ति से है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की उचित समानता भी उपलब्ध होनी चाहिए।

महात्मा गाँधी भी रॉल्स की भांति प्रत्येक व्यक्ति को समान स्वतंत्रता, व समानता के पक्षधर थे। व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के असमान व्यवहार का वे विरोध करते थे। उनकी धारणा सर्वोदय पर आधारित थी जहाँ मानव मात्र के कल्याण की बात की जाती है। उन्होंने सामाजिक व आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए हिन्दू समाज में व्याप्त जाति–प्रथा व छुआछूत का विरोध किया तथा वर्णश्रम व्यवस्था को लागू करने की बात की, जिससे व्यक्ति अपने पैतृक पेशे को अपनाकर बेरोजगारी की समस्या से निजात पा सकता है। पैत्रिक व्यवसाय से अवसर की समानता का भी उल्लंघन नहीं होगा। व्यक्ति अपने–अपने जन्मगत व्यवसाय के अनुरूप कार्यों का

निर्धारण कर, समाज में एकता की भावना को मजबूती प्रदान करेगें। वर्ण धर्मानुसार कार्यों का निष्पादन करना ही सामाजिक न्याय है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है।

महात्मा गाँधी आर्थिक समानता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि समाज से आर्थिक दरिद्रता समाप्त करनी हो तो भारत के सात लाख गांवों को स्वावलम्बी बना दो। देश से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी स्वतः दूर हो जायेगी। गांवों में खादी, चरखा, कुटीर उद्योग की स्थापना करके आर्थिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। महात्मा गाँधी, रॉल्स के भेदमूलक सिद्धान्त की तरह आर्थिक समानता की बात तो नहीं करते है, परन्तु आर्थिक समानता के लिए पूंजीपतियों से नैतिक आव्हान जरूर करते है कि तुम्हारे पास आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा जो धन है वह तुम्हारा नहीं है, वह समाज का है। तुम एक प्रकार से न्यासी हो, उस अतिरिक्त धन को गरीब, जरूरतमन्द लोगों में वितरित कर दो। महात्मा गाँधीने न्यासिता के सिद्धान्त की अवधारणा देकर सामाजिक न्याय को ही मजबूत किया है। महात्मा गाँधीने रॉल्स की तरह वितरणात्मक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय की बात नहीं की है।महात्मा गाँधीका मानना था कि अर्थ पक्ष और नैतिक पक्ष एक दूसरे के पूरक है, 'अर्थात आर्थिक प्रतिस्पर्धा में हमें अपनी नैतिकता को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि प्रकृति के नियम पूर्ण सत्य है, परन्तु आर्थिक नियम, समय व स्थान के साथ बदलते रहते है। 'भारत की सभी समस्याओं का समाधान अहिंसा में छिपा है। वे पूंजीवाद के विरोधी थे। उनका कहना था कि ''इस पृथ्वी पर मानव की आवश्यकता अनुसार प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध है परन्तु मानव की लालसा के अनुरूप संसाधन नहीं है।[12]

उदारवादियों का मत है कि आर्थिक स्वतंत्रता और समानता के अभाव में उदारवादी राज्यों द्वारा किए जाने वाले समस्त राजनीतिक और सामाजिक अधिकार झूठे और खोखले है। इन्होंने समानता को आधार बनाकर एक वर्गविहिन समाज का आदर्श सामने रखा है। जो समाज अपने नागरिकों को समान आर्थिक, नागरिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है वह समाज न्यायपूर्ण है।

रॉल्स एक खुले विचारों वाला, प्रगतिशील तथा उदारवादी विचारक था, जिसने अपनी कृति में संशोधन की आवश्यकता को समय–समय पर स्वीकार कर, बाद में सांदर्भिक बदलाव भी किए है। उसकी दृष्टि में प्रजातंत्र एक राजनीतिक अवधारणा है। शासन व्यवस्था के रूप में संवैधानिक प्रजातंत्र के स्वरूप की वकालत करता है। परिवर्तन के लिए संविधान में विश्वास करता है। वो न्याय तथा अहर्ता (Desert) को अलग–अलग मानकर न्याय के परिणामों के निर्धारण में अहर्ता की मांगों की कोई भूमिका नहीं स्वीकारता है। वही, महात्मा गाँधी पाश्चात्य देशों के लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं है क्योंकि पश्चिमी लोकतंत्र पूंजीवाद पर आधारित है और उसमें सामान्य व्यक्ति के हितों की चिन्ता नहीं होती। लोकतंत्र में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त कर प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। वे उपयोगितावादियों के विरूद्ध शासन व्यवस्था को केवल बहुमत के कल्याण के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहते। उनके विचार ग्रीन के सामान्य शुभ (Common good) की अवधारणा के अनुकूल है। वे मानते थे कि आधुनिक पश्चिमी लोकतंत्र समता, सादगी और शांति के सिद्धान्तों पर आधारित नहीं है और केन्द्रीकरण के कारण इसका लाभ सामान्यजन तक नहीं पहुंच पाता। महात्मा गाँधी ऐसे लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं जो ग्राम आधारित हो और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात कह सके। जहां हिंसा के लिए कोई स्थान न हो।

जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धान्त की अनेक विद्वानों ने आलोचना की है। आलोचक मानते है कि, रॉल्स का न्याय सिद्धान्त राजनीतिक न होकर, कानूनी, नौकरशाही व प्रशासनिक ज्यादा है। रॉल्स की 'मूल स्थिति' (हाब्स, लॉक व रूसो) के प्राकृतिक अवस्था की शिक्षा की गलत समझ पर आधारित है। वो अपने विचारों में नैतिकता एवं अधिकारों के मध्य सामजंस्य बढ़ाने में असफल रहता है। उसने उपयोगितावाद की आलोचना कर 'शुभ' की अपेक्षा अधिकारों को प्राथमिकता, विवेकीकृत एवं तार्किक दृष्टि से तय कर दी लेकिन वह लॉक व कॉण्ट में प्राथमिकता तय नहीं कर पाया अतः दोनों के विचारों का सम्मिश्रण सही प्रकार से नहीं कर पाया। व्यक्ति अपने तथा अपने वर्ग के हितों के लिए विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करते है, लेकिन सामूहिक समाज के हितों के बारे में उनका दृष्टिकोण बहुत विवेकी नहीं हर पाता है। रॉल्स सामूहिक विवेक तथा विशिष्ट वर्ग के विवेक के मध्य अन्तर नहीं कर पाता है। जॉन रॉल्स के चिन्तन का महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने बीसवीं शताब्दी में नैतिक दर्शन, को पुनर्जीवित कर, न्याय तथा उदारवादी दृष्टिकोणों को प्रमुख विचारधारा के रूप में स्थापित किया है। समाजवाद की नैतिक अपील को समाप्त कर, 'शुभ' पर अधिकारों को प्राथमिकता दी। प्लेटो तथा मार्क्स के बाद रॉल्स ही ऐसा विचारक है, जिसने पूर्ण आदर्श समाज की तार्किक संरचना को साकार रूप दिया है।

विश्व में राजनीतिक उथल–पुथल, हिंसा–प्रतिहिंसा, सामाजिक व आर्थिक असमानता के मध्य, जब मानव समाज को कोई आशा की एक किरण दिखाई पड़ती है तो वह गांधीय दर्शन है जो मानवता के लिए 'नैतिक पूंजी' है। कुछ लोगों ने महात्मा गाँधीके विचारों की आलोचना भी की है जैसे गांधीय दर्शन स्वप्नदर्शी, अतार्किक, विरोधाभासी तथा सनक भरा है।

आज महात्मा गाँधी दर्शन स्वतस्फूर्त भाव से पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। इसकी वैश्विक स्वीकार्यता, तथा लोकप्रियता बढ़ रही है। इसका कारण विश्व व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, भूखमरी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, आतंकवाद, मूल्यों का पतन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण असंतुलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्याभिचार, हिंसा, लिंग भेद, जनसंख्या लोगों का विस्थापन, ऊर्जा संकट, हथियारों का निर्माण, कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के केन्द्र में मानव जाति है, फिर चाहे वह लक्ष्य के रूप में हो या कारण के रूप में। इन सब समस्याओं के समाधान का एक मात्र मार्ग है, गाँधीमार्ग।

निष्कर्ष

संक्षेप में, सामाजिक न्याय की दृष्टि से गांधी जी जिस परिणाम पर पहुँचते है, वह उनका सर्वोदय समाज है, जो सत्य, अहिंसा तथा समानता के उच्च आदर्शों पर आधारित है। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को मान–सम्मान सुरक्षा तथा प्रेम, बिना किसी प्रतियोगिता के, एक समान मिलता है। दूसरी ओर, जॉन रॉल्स पश्चिमी चिन्तन का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखते है। अपने चिन्तन में उन्होंने कमजोर वर्ग या Least benifited class (न्यूनतम लाभ प्राप्त, वर्ग) के पक्ष में कानून निर्माण का समर्थन किया। दोनों ही विचारक समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुँचाना चाहते है। फिर चाहे, उनके आधार और साधन भिन्न ही क्यों ना हो?

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *गाबा, ओ.पी : समकालीन राजनीतिक चिन्तन की रूपरेखा, के.एल.मलिक एण्ड सन्स प्रा.लि., नई दिल्ली, 2003, पृ. 324*
2. *दाधीच, नरेश : महात्मा गांधी का चिन्तन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2014, पृ. 97*
3. *शर्मा, बी.एम, रामकृष्ण, सविता : गांधी दर्शन के विविध आयाम, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2007, पृ. 158*
4. *रॉल्स, जॉन : ए थियरी ऑफ जस्टिस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मैसाचूसेट्स, 1971, पृ. 03*
5. *गाबा, ओ.पी : राजनीति–सिद्धान्त की मूल संकल्पनाएं, के.एल.मलिक एण्ड सन्स (प्रा.लि.), नई दिल्ली, 2014, पृ. 86*
6. *उपर्युक्त, पृ. 61*
7. *सिंह, रामगोपाल : सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1994, पृ. 25*
8. *चक्रवर्ती, विद्युत, पाण्डेय, राजेन्द्र कुमार : आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2012, पृ. 72*
9. *दाधीच, नरेश : जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धान्त, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2003, पृ. 3*
10. *गाबा, ओ.पी : रीडिंग गांधी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2009, पृ. 178*
11. *संधु, ज्ञानसिंह : राजनीति सिद्धान्त, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली, विश्वविद्यालय दिल्ली, 1991, पृ. 278–79*
12. *दाधीच, नरेश : महात्मा गांधी का चिन्तन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2014, पृ. 188*